झारखण्ड सरकार
<u>वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग</u>

पत्र संख्या–वन भूमि–10 / 2015– **व०प०, राँची, दिनांक–**

प्रेषक,

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :– शिवपुर–कठौतिया नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु 368.72 हे0 (307.00 हे0 चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल एवं 61.72 हे0 हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक परियोजना हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्र दिनांक–19.06.2019 द्वारा प्रदत्त स्टेज–I की स्वीकृति के आलोक में विभागीय पत्रांक–2639 दिनांक–14.09.2021 द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यानुमति प्रदान की गई थी, जिसकी कालावधि समाप्त हो चुकी है।

विभागीय पत्रांक–2952 दिनांक–30.09.2022 द्वारा कार्यानुमति की अवधि विस्तारित करने की अनुशंसा की गई, जिसके आलोक में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्र दिनांक–21.10.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा कार्यानुमति की अवधि एक और वर्ष के लिए विस्तारित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

भारत सरकार के उक्त पत्र के आलोक में निदेशानुसार विषयक प्रस्ताव में विभागीय पत्रांक–2639 दिनांक–14.09.2021 द्वारा प्रदत्त कार्यानुमति की अवधि पत्र निर्गत होने की अवधि से एक और वर्ष के लिए विस्तारित की जाती है।

साथ ही यह भी अनुरोध है कि विषयक परियोजना में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्टेज–I की शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह० / –
(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वन भूमि–10 / 2015– व०प०, राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003 / अपर महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय, हरमू चौक, राँची–834002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वन भूमि–10 / 2015– व०प०, राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि–सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

ह० / –
उप परामर्शी।

12

ज्ञापांक–वन भूमि–10 / 2015– 3290 व०प०, राँची, दिनांक– 11/11/2022

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग / वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल / वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल / उप मुख्य अभियंता (निर्माण) III, पूर्व मध्य रेलवे, हजारीबाग / महाप्रबंधक, इरकोन इन्टरनेशनल लिमिटेड, 121/C मंदिर मार्ग, अशोक नगर, राँची, झारखण्ड–834002 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

ह० / –
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वन भूमि–10 / 2015– 3290 व०प०, राँची, दिनांक– 11/11/2022

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची को विभागीय वेबसाईट "www.forest.jharkhand.gov.in" पर Upload करने हेतु प्रेषित।

11/11/2022
उप परामर्शी।